[Shri M. C. Shah]

she can fall back. Assam will also get, in due course, a loan equal to what she has had to divert from her resources for meeting this expenditure.

Therefore, it will be seen that the Government of India have already promised all those States which are affected by flood that finance will not stand in helping any of these relief and rehabilitation schemes and also the development schemes under the Five Year Plan.

In Bengal also, the same position is there. I would not narrate anything about this. Looking to this common pattern of assistance to be given to the States, which I have already indicated, I hope my hon. friend will not press this resolution and will withdraw it.

Shri R. K. Chaudhuri: I wanted an assurance that, as was done in the case of Dibrugarh, Government would also take necessary measures to protect the town of Palasbari. Actually, so much amount has been spent and at this stage the Government of Assam may not agree to take a loan; they want a grant. I would also like to know what is the decision of the Flood Control Board which sat recently, so far as Palasbari and Dibrugarh are concerned.

Shri M. C. Shah: As I have already stated, these estimates are submitted by the State Government. The Centre has a common pattern of assistance to the States of West Bengal, U.P. and Bihar, and, according to that common pattern, we are prepared to give any assistance that is required.

Shri R. K. Chaudhuri: In view of what I have heard and with much greater hopes, I beg leave of the House to withdraw the Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

(4 P.M.

RESOLUTION *RE*: APPOINTMENT OF A HINDI LAW COMMISSION

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके सामने रखने की अनुमति आप से चाहती हूं और सदन की अनुमति भी चाहती हूं। मुझे आशा है कि मेरा यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जायेगा और मुझे अनुमति दी जायेगी कि मैं इस प्रस्ताव को सभा के सामने रक्खूं।

Sir, I beg leave of the House to introduce the Resolution.

Mr. Chairman: The hon. Member wants to speak subsequently?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I just ask for leave to introduce my Resolution.

Mr. Chairman: There is no question of leave; the hon. Member can move her Resolution.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

> "This House is of opinion that the Central Government should immediately appoint a Hindi Law Commission consisting of Hindi and Sanskrit scholars including members of the bar and the bench to prepare authoritative Hindi texts of all the Central laws."

सभापति महोदय, मैंने अपना यह प्रस्ताव इसलिये प्रस्तुत करना चाहा है कि यह समस्या बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे यह उम्मीद है कि सभा की राय भी मुझ से मिलती जुलती होगी। यह तो हम मानते ही नहीं हैं कि हमारा राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दामन हमेशा अंग्रेजी से ही बंधा रहेगा। हम गुलाम थे और सैंकड़ों वर्षों तक हम अपनी सभ्यता और अपनी भाषा को भुला बैठे थे। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि हिंदुस्तान के आजाद नागरिक होने की हैसियत से हम अपनी सभ्यता की ओर न देखें, हम अपनी संस्कृति न बनायें और अपनी भाषा न बनायें। हम इस बात का एहसास करते

हैं कि इस पृथ्वी के अन्दर हम और हमारी सभ्यता इतनी पुरानी हैं जितनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति बहुत कम देशों की हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता हैं कि जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ता जाता हैं, वैसे वैसे उस का सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी होता जाता हैं। भाषा तो केवल मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास को सामने रखने का एक संकेत हैं। वह एक माध्यम हैं जिसके द्वारा हम अपना विकास कर सकते हैं और हम इस पृथ्वी के ऊपर अथवा दुनियां के अन्दर रह सकते हैं। हमें तो यह बात सुन कर बड़ा आश्चर्य होता हैं जब यह कहा जाता हैं कि हिन्दी भाषा जो हैं, या हिन्दुस्तानी भाषा जो हैं वह बहुत नई हैं, बहुत छिछली हैं, उस में इतने पर्याप्त शब्द नहीं हैं कि वह ऐसी भाषा बन सके जो विधि के काम में आ सके, कानून के काम आ सके या विज्ञान के क्षेत्र में आ सके। अक्सर ऐसा होता हैं कि जितनी सभ्यता बढ़ती जाती हैं उतनी ही भाषा भी बढ़ती जाती हैं। परन्तु बदकिस्मती से हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे देश पर बराबर विदेशियों की चढ़ाइयां होती रहीं। तरह तरह की सभ्यतायें आईं और हमारी जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति थी उस पर बहुत से कुठाराघात किये गये, बहुत प्रहार हुए। नतीजा यह हुआ हमारे देश की सभ्यता का रूप बहुत तरह से बदला। जब अंगरेज हमारे यहां आये तो उन की मंशा यह थी कि हमारे देश की सभ्यता का कोई भाग हमें इस बात की याद दिलाने को न रह जाये कि हम भी संसार की बहुत बड़ी संस्कृति के एक अंग थे और हमारी जो सभ्यता और संस्कृति थी वह बहुत ऊंचे दर्जे की थी। वह तो हमारा नाम व निशान और हमारी संस्कृति और सभ्यता का नाम व निशान मिटा देना चाहते थे। परन्तु हमारी सभ्यता इतनी शक्तिशाली और गंभीर थी कि वह इस को मिटा नहीं सके। और आज भी हमारे यहां हमारी सभ्यता और संस्कृति एक पुरानी यादगार के रूप में विद्यमान हैं। इस के लिये हमें फख्र हैं, हमें अभिमान हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह हमारा और हमारे देश का फर्ज नहीं हो जाता कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को, अपनी भाषा को, उसी उन्नत रूप में अपने सामने रक्खें, जिस पर हमें अभिमान हो।

आज हमारी भाषा में ऐसी कमियां हैं जिन के लिये हमें अफसोस होता हैं कि वह कमियां क्यों हैं। क्योंकि यहां उस भाषा का प्रश्न हैं जो कि हमारे देश की भाषा हैं। मैं खाली हिन्दी के बारे में ही नहीं कहती, यहां की जितनी भी भाषायें हैं, सब के बारे में कहती हूं। बल्कि मैं तो यह कहती हूं कि जो भी और भाषायें हिन्दुस्तान की हैं उन में से बहुत सी हिन्दी से भी कहीं बढ़ी चढ़ी हैं, जैसे कि तामिल भाषा हैं, उस का साहित्य भंडार बहुत बड़ा हैं और बहुत ऊंचे दर्जे का हैं। परन्तु जो हमारी संस्कृत भाषा थी क्या उस में शब्दों की कमी थी कि जिन शब्दों से हम अपना विकास आज कर सकते, अपने संकेतों का बोध कर सकते? ऐसे शब्दों की संस्कृत में कमी नहीं थी। मैं जानती हूं कि आज देश के कई प्रति शत लोग अंगरेजी समझते हैं। मैं यह भी मानती हूं कि देश के बहुत से लोग हिन्दी भी नहीं समझते। परन्तु हम ने मान लिया हैं कि पंद्रह वर्षों के बाद हिन्दी ही हमारी भाषा होगी। सात वर्ष तो बीत चुके हैं और अगले आठ या नौ वर्षों के अन्दर, हम चाहें या न चाहें, सब को हिन्दी सीखनी ही होगी। १९६४ की रात गुजरने के बाद जब १९६५ की सुबह होगी, १९६५ की पहली जनवरी को जब सूर्य निकलेगा तो क्या हम में हिम्मत होगी कि हम अंगरेजी शब्दों का उपयोग कर सकें? यदि हम अभी से प्रयत्न नहीं करते तो फिर जब हम नींद से उठेंगे तो हमें ऐसा मालूम होगा कि हमने हिन्दी के लिये कुछ नहीं किया। हम ने हिन्दी को राज्य भाषा बनाने का निश्चय तो किया लेकिन हमें इस पर अभिमान नहीं होगा। हम कभी यह महसूस नहीं करेंगे कि हमारे देश में भी ऐसे शब्द हैं या ऐसी भाषा हैं जिस में कि हम कानून बना सकते हैं, जो विज्ञान का विकास कर सकती हैं। इस लिये जरूरत इस बात की

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

हैं कि जल्दी से जल्दी इस बात का फैसला किया जाय कि कानून और विज्ञान के रास्ते में हिन्दी का विकास हो । अभी तक केवल साहित्य के रास्ते में हिन्दी का विकास हुआ हैं । हिन्दी बराबर साहित्यकों की भाषा रही हैं । हिन्दी में उपन्यासकारों ने अपने रंग भरे और कवियों ने उस में अपनी लय भरी, परन्तु विज्ञान के आचार्यों ने हिन्दी को कभी नहीं अपनाया । हिन्दी को द्वारपाल की जगह अंगरेजी साम्राज्य के सामने खड़ा किया गया । अंगरेजों के राज्यकाल में हिन्दी को राज्य के अन्दर नहीं घुसने दिया गया । ऐसा अवसर उसे नहीं दिया गया कि वह यहां पार्लियामेन्ट के अन्दर आ सकती । इस लोक सभा के अन्दर हिन्दी सीखने वालों की हिम्मत नहीं पड़ती थी, हिन्दी बोलने वालों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह अपनी भाषा को यहां पर बोलें । हम ने इस देश के अन्दर हिन्दुस्तानी भाषा को अपनी आंखों से फलते फूलते नहीं देखा, सिर्फ अपने दुश्मनों की आंखों से देखा, जो कि इस बात की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि हिन्दी में अपने देश की भावनाओं को प्रकट कर सकें । परन्तु अब इस बात का होना एक लज्जा की बात हैं । चूंकि संविधान में हमने यह फैसला किया हैं कि सब लोगों को बराबर का हक होगा राज काज चलाने में, सब का उस में बराबर का हिस्सा रहेगा, हम ने जो प्रतिज्ञा की थी जनता के सामने कि राज कार्य में हम जनता का साथ लेंगे, जनता एक सेवक की तरह नहीं, एक नौकर की तरह नहीं, बल्कि नागरिक की हैसियत से हमारे सामने अपने सुझाव रक्खेगी, जनता दिग्दर्शक की हैसियत से इस राष्ट्र को और हिन्दुस्तान की सरकार को रास्ता दिखायेगी । जहां की जनता अंगरेजी नहीं जानती हैं, वहां की जनता को अगर हिन्दुस्तानी भाषा में सरकार से काम लेने का मौका मिलेगा तभी वहां के राज काज में जनता साथ दे सकती हैं । इस लिये मेरा यह कहना हैं कि केन्द्र और राज्यों का जल्दी से जल्दी हिन्दीकरण होना चाहिये । हमारे कुछ कानून हिन्दी में जरूर बने हैं, मुझे मालूम हैं कि हमारे जो विधि मंत्री हैं, कानून के मंत्री हैं वह हमारे सामने यह रक्खेंगे कि सन् १९४७ से पूर्व हिन्दी में कुछ नहीं होता था, सन् १९४७ के बाद से हमने काफी काम किया हैं, करीब २,००० पन्नों का हिन्दीकरण हो गया हैं और सिर्फ १५०० पन्ने बाकी रह गये हैं । परन्तु जब हिन्दीकरण होता हैं तो, आप किसी से पूछ लें जो कानून जानते हैं, जो हिन्दी को भी जानते हैं, बल्कि उन भाइयों से भी पूछ लें जो कि दक्षिण के हैं कि क्या उन को इन हिन्दी के कानूनों से तसल्ली हैं ? क्या उन को इन कानूनों पर भरोसा हैं जो कि हिन्दी में बने हैं कि वह अच्छे होंगे ? इस लिये मेरी राय यह हैं कि जल्दी से जल्दी हम एक ऐसा आयोग स्थापित करें जो कि इन तमाम बातों को देखे और जहां जरूरत हो इस को बदले । जहां शब्दों के बदलने की जरूरत हो वहां शब्दों को बदले और जहां भाषा को बदलने की जरूरत हो वहां भाषा को बदले । जहां कानूनों का हिन्दी में अनुवाद करना हो वहां वह उनका अनुवाद भी करे ।

ऐसी दशा में दो सवाल उठते हैं कि हमें क्या करना चाहिये । हम ने अभी तक जो किया हैं वह सन्तोषजनक नहीं रहा हैं । मैं जानती हूं कि अभी तक बहुत सी ऐसी शक्तियां काम करती रही हैं, जिन्होंने कभी हिन्दी की अहमियत को नहीं पहचाना, जिन्होंने, मैं सिर्फ हिन्दी की बात नहीं कहती, हिन्दुस्तान की भाषाओं की ही अहमियत को नहीं पहचाना, जो समझते हैं कि अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा हैं जिस में विज्ञान की पुस्तकें बन सकती हैं । जिस में ही कानून जारी हो सकते हैं । अगर किसी दूसरी भाषा में कानून बना तो कानून का गला घुट जायेगा । मेरे एक साथी जो मेरे बगल में बैठे हैं उन्होंने अभी दो मिनट पहले मुझ से कहा कि आप यह क्या करने जा रही हैं । अगर कानून हिन्दी में बनाये गये तो उन का गला घुट जायेगा । तो यह बड़े अफसोस की बात हैं । यह कैसे शोक की बात हैं कि हमारे हिन्दुस्तानी भाई यह कहें कि हिन्दुस्तान की किसी भाषा में कानून का अनुवाद नहीं किया

जा सकता हैं । यानी इस का यह अर्थ हैं कि एक अंग्रेजी ही ऐसी भाषा हैं कि जो स्वर्ग से उतरी हैं और उसी भाषा में ऐसा गुण हैं कि उसी में इस देश की सारी की सारी संस्कृति और सभ्यता और सारे भूमंडल की सभ्यता पनप सकती हैं, और किसी दूसरी भाषा में नहीं पनप सकती हमारे दोस्त उस जमाने को जरा याद करें जब कि अंग्रेजी यहां नहीं आयी थी । क्या आप कह सकते हैं कि उस समय हमारे देश में काम नहीं होता था और हम उन के भरोसे बैठे थे कि वह आयें और हम को सिखायें । वास्तव में हमने गुलाम होते हुए भी अंग्रेजों को बहुत कुछ सिखाया हैं । हमने उन से उतना सीखा नहीं ।

श्री टंडन (अम्बाला-शिमला) : तलाक सीखा हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं यह मानती हूं कि अंग्रेजी भाषा का एक महत्व हैं । मैं इस लिये अंग्रेजी का महत्व नहीं मानती कि उसका बहुत बड़ा विकास हुआ हैं । मैं इस लिये उस का महत्व मानती हूं कि आज जो देश एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गये हैं उनके एकीकरण करने में उस का महत्व हैं । वह उन देशों को एक दूसरे के नजदीक लाने में महत्वपूर्ण योग दे सकती हैं । इसी कारण मैं उस का महत्व मानती हूं । लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग अंग्रेजी के गुलाम हो जायें और हम को अंग्रेजी बोलना ही अच्छा लगे और हम को हिन्दी बोलने में शर्म आवे । आज हिन्दी बोलने वालों को ऐसा मालूम होता हैं कि अगर हम हिन्दी में बोलेंगे तो हमारी बात कोई सुनेगा नहीं । देश के अखबार वाले हिन्दी में बोलने वालों की कोई कीमत नहीं करते हैं, उनका अखबारों में कोई चर्चा नहीं होता हैं । जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वे हिन्दी में बोलने वालों की कोई कीमत नहीं करते हैं । और इस लिये लोगों को अपनी भाषा में बोलने का मौका नहीं मिलता हैं । अगर कोई भाई दक्षिण की भाषा में बोले तो शायद उस को एक भी सुनने वाला न हो । अगर हमें अपनी भाषा और संस्कृति की कोई कद्र नहीं हैं तो हमें अपनी सभ्यता और मनुष्यता पर क्या अभिमान हो सकता हैं । इस लिये मेरा निवेदन हैं कि जल्द से जल्द इस बात की तरफ हमारी सरकार का ध्यान दिलाया जाये और वह एक ऐसे आयोग की स्थापना करें कि जितने हमारी केन्द्रीय सरकार के कानून हैं उन का हिन्दीकरण किया जाये ।

अभी एक किताब मेरे सामने हैं । हमारे जो विधि मंत्री महोदय हैं वे इतनी हिन्दी नहीं जानते वर्ना मैं उन से कहती कि आप इस किताब को पढ़ लीजिये । अगर आप इस किताब को किसी मैट्रिक के विद्यार्थी को दें तो वह भी यही कहेगा कि यह क्या भाषा का मजाक हो रहा हैं । इस में न तो ठीक से कॉमा हैं, न विराम हैं, न ठीक से अनुवाद ही किया गया हैं । अनुवादक ने अंग्रेजी का अंग्रेजों की तरह से अनुवाद किया हैं । हिन्दुस्तानियों की रीति से इस का अनुवाद नहीं हुआ हैं । अंग्रेजी शब्दों के लिये उपयुक्त हिन्दी शब्द नहीं काम में लाये गये हैं । हम यह देखते हैं कि होता यह हैं कि हमारे दिमाग में पहले अंग्रेजी के शब्द आते हैं । हिन्दी बोलने वालों के भी दिमाग में पहले अंग्रेजी के शब्द आते हैं और फिर वे मन में उन का अनुवाद करके हिन्दी में बोलते हैं । लेकिन पहले वाक्य उन के दिमाग में अंग्रेजी के ही आते हैं । उन वाक्यों का हम हिन्दी में अपने मन में अनुवाद करके तब हिन्दी बोलते हैं । इस लिये ऐसे अनुवाद से हमारा काम नहीं चलेगा । १९६५ में जब जबरदस्ती कानून को हिन्दी में आना पड़ेगा, विज्ञान को हिन्दी में आना पड़ेगा, तो इस तरह की किताबों से काम नहीं चलेगा और न कोई उन को समझेगा । हां लोग उर्दू में कानून को समझेंगे क्योंकि उर्दू में कानून चला आ रहा हैं । जो पढ़े लिखे हैं वे भी उसे समझते हैं और जो नहीं पढ़े हैं वे भी समझते हैं । इस का यह मतलब हैं कि उर्दू का कानून पढ़ो और उस में जानकारी हासिल करो । लेकिन प्रजातन्त्र में विशेष कर जनता का सम्बन्ध सरकार से विधि द्वारा ही होता हैं । विधि

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

सरकार की जबान हैं जिस के द्वारा वह जनता तक पहुंचती हैं । सरकार जो कानून बनाती हैं उससे जनता का सम्बन्ध रहता हैं । अगर हिन्दी में कानून होगा तो उससे जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा । हमारी इतनी पुरानी सभ्यता हैं फिर भी क्या हमारे पास शब्दों की कमी हैं कि हम कानून नहीं बना सकते । हमारी भाषा से विज्ञान के शब्द निकले और दूसरी विद्याओं के शब्द निकले । तो क्या हम अपनी भाषा के शब्दों से बने कानून को नहीं सीख सकेंगे । क्या हम इतने पंगु हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा विकास रुक जायेगा । हम यह नहीं मानते कि हिन्दुस्तान इतना कमजोर हैं कि अगर हिन्दुस्तान की भाषा में कानून बन जायें तो हमारा विकास लोप हो जायेगा ।

इस लिये मैं इन शब्दों के साथ अनुरोध करती हूं कि सरकार और यह सभा मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें । इसके कण कण में भारतीयता लिपटी हुई हैं, देश प्रेम लिपटा हुआ हैं, देश अभिमान लिपटा हुआ हैं । मैं समझती हूं कि हम में देशाभिमान हैं और हमारी सरकार में देशाभिमान हैं और इस समय वह चूकेगी नहीं और इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ।

Mr. Chairman: Let me place the resolution before the House. Resolution moved:

> "This House is of opinion that the Central Government should immediately appoint a Hindi Law Commission consisting of Hindi and Sanskrit scholars including members of the bar and the bench to prepare authoritative Hindi texts of all the Central laws."

With regard to the amendments, Shri Shree Nayan Das is not here and so amendments Nos. 1 and 2 go out. Shri Dabhi is moving amendment No. 3, but not No. 5, Shri Achuthan is moving No. 4, Shri Radha Raman No. 6, Shri Raghunath Singh No. 7: Shri Vidyalankar is not here and so amendment No. 8 goes out.

Regarding amendment No. 9 of Shri Nageshwar Prasad Sinha, I cannot allow him to move it because it negatives the resolution.

Shri Nageshwar Prasad Sinha (Hazaribagh East): When I saw my amendment in the list, I thought that it was in order.

Mr. Chairman: Order, order. The amendment is not in order because it is a negation of the resolution.

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur Distt.): I have got an amendment and I gave it an hour ago.

Mr. Chairman: I am very sorry and unless the mover of the resolution agrees, it cannot be accepted. It is too late now.

Shri M. L. Dwivedi: My amendment is a small one.

Mr. Chairman: It might be small or it might be big.

Shri M. L. Dwivedi: I am requesting the hon. Minister to accept it.

Mr. Chairman: Today it cannot be allowed.

Shri Dabhi (Kaira North): I beg to move:

That at the end of the Resolution the following be added, namely:

> "as well as to revise, where necessary, the present authorised Hindi Translation of the Constitution."

Shri Achuthan (Crangannur): I beg to move:

That for the original Resolution the following be substituted, namely:

> "This House is of opinion that the Central Government should appoint a Hindi Law Commission consisting of Hindi and Sanskrit scholars including Members of the Bar and the Bench to prepare authoritative Hindi texts of all Central Laws and at the same time appoint similar Commissions

of qualified men to prepare authoritative texts of all Central Laws in all the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution."

Shri Radha Raman (Delhi City): I beg to move:

That for the original Resolution the following be substituted, namely:

"This House is of opinion that the Central Government should immediately appoint an *ad hoc* Committee of suitable persons to examine and review the existing machinery and arrangements for preparation of authoritative Hindi Texts of all Central Laws and also to recommend, if necessary, the appointment of a special Commission for the purpose."

Shri Raghunath Singh (Banaras Distt.—Central): I beg to move:

That for the original Resolution the following be substituted, namely:

"This House is of opinion that the Central Government should immediately take adequate steps to prepare the texts of all laws in the National Language."

Mr. Chairman: Amendments moved:

(i) That at the end of the Resolution the following be added, namely:

"as well as to revise, where necessary, the present authorised Hindi translation of the Constitution."

(ii) That for the original Resolution the following be substituted, namely:

"This House is of opinion that the Central Government should appoint a Hindi Law Commission consisting of Hindi and Sanskrit scholars including Members of the Bar and the Bench to prepare authoritative Hindi texts of all Central Laws and at the same time appoint similar Commissions of qualified men to prepare authoritative texts of all Central Laws in all the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution."

(iii) That for the original Resolution the following be substituted, namely:

"This House is of opinion that the Central Government should immediately appoint an *ad hoc* Committee of suitable persons to examine and review the existing machinery and arrangements for preparation of authoritative Hindi Texts of all Central Laws and also to recommend, if necessary, the appointment of a special Commission for the purpose."

(iv) That for the original Resolution the following be substituted, namely:

"This House is of opinion that the Central Government should immediately take adequate steps to prepare the texts of all laws in the National Language."

श्री गाडगील (पूना मध्य) : सभापति जी, मेरा एक निवेदन हैं। मैं बहस नहीं करना चाहता। मेरा निवेदन यह हैं कि यह बहस ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में हो और दूसरी प्रार्थना यह हैं कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी हैं उनके लिए कम अवसर दिया जाये और जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं हैं उनके लिए ज्यादा अवसर देना मैं मुनासिब समझता हूं।

Mr. Chairman: I am very sorry I cannot agree to any of these propositions. In the first place, speeches in English are allowed under the rules, and in the next place, there can be no discrimination between those speaking Hindi and those who do not speak Hindi, because the proposition is that the Central laws may be got translated in Hindi by a Law Commission.

श्री नंदलाल शर्मा (सीकर) : सभापति महोदय भी हिन्दी में बोलें तो बहुत अच्छा हो।

Mr. Chairman: Order, order. The House is aware that only one hour has been fixed and therefore only forty minutes are left.

Shri A. M. Thomas (Eranakulam): Let only non-Hindi people speak.

Mr. Chairman: I think that only five minutes can be allowed to each Member who may wish to speak.

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर---दक्षिण): सभापति जी, आपने इस प्रस्ताव के ऊपर बहस के लिये केवल एक घंटे का समय दिया है जब कि मैं समझता हूं कि यह इतना आवश्यक विषय है कि....

Mr. Chairman: I am not responsible for the apportionment of time; the House has accepted the report from the Committee.

सेठ गोविन्द दास : आपका कहना बजा है, लेकिन मैं समझता हूं कि कमेटी ने इस मामले में थोड़ी गलती की है। यह प्रस्ताव ऐसा है जिस पर पूरे एक दिन का समय दिया जाना चाहिये था। दूसरे आपने मुझे बोलने का समय भी इतना कम दिया है कि जिसके भीतर सब बातें कहना भी कठिन है, लेकिन तो भी मैं बहुत संक्षेप से दो, चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहले तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हमारे संविधान ने पन्द्रह वर्ष का जो समय इस काम के लिये नियुक्त किया है उस समय के अन्दर इस काम को कर देने का सरकार का इरादा है या नहीं और अगर सरकार का यह इरादा है कि पन्द्रह वर्ष के अन्दर इस काम को पूरा करना है तो मैं अत्यन्त नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस चाल से सरकार चल रही है इस काम में वह पन्द्रह वर्ष क्या अगर पन्द्रह वर्ष के ऊपर एक शून्य भी रख दिया जाये यानी डेढ़ सौ वर्षों में भी यह काम समाप्त होने वाला नहीं है। मैं यह जानता हूं कि हमारे मंत्री जी उठ कर यह कहने वाले हैं कि इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधियों का अनुवाद किया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि अनुवाद से केवल काम चलने वाला नहीं है। यदि वे विधियां अधिकृत रूप से हमारे सामने न आ जायेंगी और वे विधियां यदि अंग्रेजी का ठीक स्थान नहीं ले लेंगी तो इस प्रकार का अनुवाद तो बाजार में भी किया जा सकता है और वह बेचा जा सकता है। जहां तक उनके अधिकृत रूप का सम्बन्ध है मैं यह चाहता हूं कि यह आयोग इस काम के लिये मुकर्रर हो। इस आयोग के जो मुख्य काम होंगे वह मेरी दृष्टि से तीन काम होंगे जो इस समय नहीं हो रहे हैं। पहला काम यह होगा कि विधि के निर्माण की। शैली को तय करना। अभी तक आप यदि देखें तो आपको मालूम होगा कि जितने अनुवाद इस समय तक किये गये हैं यहां, और जो मूल रूप में भिन्न भिन्न राज्यों में विधियां बनायी गयी हैं उनकी शैली एक दूसरे से नहीं मिलती। साहित्य में पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द उपयुक्त हो सकता है, लेकिन जहां तक कानून का मामला है, हमको एक ही शब्द बार बार एक स्थान पर रखना पड़ता है और हम को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उस शब्द का प्रयोग हर कानून में चाहे वह कानून केन्द्र का हो या राज्यों का हो, वह शब्द उसी रूप में आना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि विधि मंत्रालय से जो अनुवाद हुए हैं विधि मंत्रालय स्वयं उन अनुवादों को देखे तो वह पायेगा कि एक शब्द एक विधि में एक काम में लाया गया है और वही शब्द दूसरी विधि में दूसरे काम में लाया गया है। भिन्न भिन्न राज्यों में जो मूल विधियां बनी हैं उनमें भी इस प्रकार की उलझनें मौजूद हैं। तो इस आयोग का पहला काम होगा कि शैली का वह निर्णय करे। दूसरे अर्थ की दृष्टि से किस शब्द का कहां पर उपयोग किया जाये, यह तय होना चाहिये। एक ही अर्थ में कानून में दो शब्द या अनेक शब्द काम में नहीं लिये जा सकते। तीसरे यह कि हिन्दी भाषा की जैसी रचना है उसके अनुसार यह विधियां बनें। अभी क्या हो रहा है? अभी जितने अनुवाद हुए हैं या जितने मूल कानून भी भिन्न भिन्न राज्यों में पास हुए हैं वह अंग्रेजी के रूपान्तर मात्र हैं। उनमें जरा भी इस बात का ध्यान नहीं रक्खा गया कि उनकी भाषा हिन्दी भाषा के उपयुक्त हो। तो इस आयोग के ये तीन काम होंगे। अगर यह आयोग न बना तो क्या नतीजा निकलेगा? भिन्न भिन्न कानून भिन्न भिन्न ढंग की भाषा में होंगे। भिन्न भिन्न शब्दों का भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग होगा।

केन्द्र में एक शब्द का प्रयोग होगा और राज्यों में दूसरा शब्द प्रयोग किया जायेगा । कानून एक दूसरे से मिलेंगे नहीं और उलझन इतनी अधिक बढ़ जायगी कि उस उलझन को आगे चल कर सुलझाना एक असम्भव बात हो जायेगी ।

दूसरे अगर यह कहा जाये कि पहले हमको शब्दावलि बनाना है और उसके बाद हमको कानून बनाना है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि शब्दावलि का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । हिन्दी में कानून के लायक पूरी शब्दावलि मौजूद है । यह कोई वैज्ञानिक शब्दावलि का मामला नहीं है कि विज्ञान में हमारे पास शब्दावलि नहीं है इसलिये शब्द पहले तैयार किये जायें । कानून के मामले में यह बात नहीं है । हमारे यहां पूरी शब्दावलि मौजूद है । उस शब्दावलि का ठीक शैली से उपयोग हो, इसी की आवश्यकता है । यह काम विधि मंत्रालय को करना चाहिये । मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से, उनका विचार इस सम्बन्ध में कोई आयोग या कमेटी बनाने का है या नहीं ? मेरा पहला प्रश्न यह है । दूसरा प्रश्न यह है कि यदि उनका विचार कोई कमीशन, आयोग या कमेटी बनाने का है तो वह आयोग या कमेटी विधि मंत्रालय बना रहा है या शिक्षा मंत्रालय बना रहा है ? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि इस आयोग या इस कमेटी में किस प्रकार के लोग रक्खे जायेंगे ।

मैं केवल दो मिनट में खत्म किये देता हूं ।

Mr. Chairman: I have requested the hon. Member already; he says he would take two minutes; that means eight or nine minutes in all.

सेठ गोविन्द दास : शायद मुझे पांच मिनट भी नहीं दिये गये हैं....

Mr. Chairman: Now six minutes have passed.

सेठ गोविन्द दास : मेरा तीसरा प्रश्न बहुत जरूरी है और वह यह है कि इस आयोग या कमेटी में किन लोगों को मुकर्रर किया जा रहा है । मैं ने इस बात को देखा है कि हिन्दी का काम ऐसी संस्थाओं से लिया जा रहा है जिन संस्थाओं पर हिन्दी भाषा भाषियों का विश्वास नहीं है । हमने यह देखा है कि हिन्दी का काम ऐसे लोगों से लिया जा रहा है जिन लोगों का हिन्दी जगत में कोई स्थान नहीं है । यदि इस कमेटी में इस प्रकार के लोग मुकर्रर किये गये जिनका कि हिन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं, जिन को हिन्दी भाषा नहीं आती और जिन पर हिन्दी जगत का विश्वास नहीं तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कमेटी या इस प्रकार का आयोग बनाना एक निरर्थक बात होगी ।

Mr. Chairman: Raghunath Singh.

Shri Achuthan: All view points about this resolution will be given an opportunity to express themselves, I hope.

Mr. Chairman: How can I know all the view points?

Shri Achuthan: From the amendments....

Mr. Chairman: That does not mean that every hon. Member who has given notice of an amendment must be allowed to speak.

Shri Achuthan: It is not that I should be....

Mr. Chairman: What other view point is there? I can only know from the amendments. If I accept the hon. Member's argument, I must allow every hon. Member who has given notice of amendment because he has got a view point. I am sorry I cannot accept the hon. Member's argument..... (*Interruptions.*)

Order, order.

श्री रघुनाथ सिंह : चेयरमैन साहब, मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है । पहली बात मुझे यह कहनी है कि भारतीय संविधान के अनुसार १४ क्षेत्रीय भाषायें हैं अगर इनमें से उर्दू को आप हटा दें, तो बाकी तेरह भाषायें ऐसी हैं जिनकी धातु संस्कृत है । मेरा पहला सुझाव आपके सामने यह है कि जो कमीशन नियुक्त किया जाये उसके सम्मुख यह सुझाव रक्खा

[श्री रघुनाथ सिंह]

जाये कि जो शब्दावली तैयार की जाये उसकी धातु संस्कृत हो। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष को ६ स्टेट्स बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि में हिन्दी का प्रचार है। आज वहां हिन्दी में काम होता है। लेकिन अगर वहां की कार्यवाही को और इस संसद की कार्यवाही को आप देखें तो आप पायेंगे कि एक ही चीज के वास्ते भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि जो भी शब्दावली बने उसकी धातु संस्कृत हो और साथ ही इसके मुझे यह भी कहना है कि तद्भव शब्द चाहे वे अंग्रेजी के हों और चाहे वे उर्दू के हों, उनको उसी रूप में अपना लेना चाहिये। जैसे "स्टेशन" शब्द है। इस स्टेशन शब्द को अगर आप हिन्दी में ऐसे ही ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन विदेशी तत्सम शब्दों को हमें त्याग देना चाहिये। जैसे "ट्रान्सफर" शब्द है। इसके वास्ते हमारे पास अच्छा शब्द है और उसका हम प्रयोग करें। मेरा सुझाव यह है कि हम तद्भव शब्दों को तो वैसे ही अपना लें लेकिन जहां तक विदेशी तत्सम शब्दों का सम्बन्ध है, उनमें अगर अन्य भाषाओं के शब्द छोड़ दें तो अच्छा है। तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह समझना कि हिन्दी भाषा को हम हिन्दुस्तान के ऊपर लादना चाहते हैं, यह बात ठीक नहीं है। अगर हमें देश को एक बनाना है.....

Mr. Chairman: I am very sorry to interfere. The Resolution, as it stands, relates to the appointment of a Hindi Law Commission with a particular object. He is speaking on the general subject of Hindi. I will not allow him to do that. He must confine himself to the Resolution.

श्री रघुनाथ सिंह : मुझे आप से यह कहना है कि २६ जनवरी, १९५० को हम ने संविधान में समय की सीमा रक्खी कि पांच वर्ष के पश्चात् एक कमीशन नियुक्त होगा और हिन्दी के सम्बन्ध में जो भी कार्रवाई होगी वह उस कमीशन के द्वारा होगी। साथ ही साथ हम ने यह भी रखा कि पंद्रह वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान की राज्य भाषा हिन्दी हो जायेगी। अब पांच वर्ष में तीन महीने बाकी हैं। समय आ गया है कि एक कमीशन नियुक्त किया जाये। हमारी बहन ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह बिल्कुल ठीक समय पर रक्खा है क्योंकि संविधान में दिये समय के अनुसार अब सिर्फ तीन महीने और बाकी हैं। इस समय कमीशन के नियुक्त होने की अत्यन्त आवश्यकता है। जिस में कानून के जितने शब्द हैं उन को हम फिर से ठीक से रक्खें।

इस के साथ मुझे एक बात और कहनी है अदालतों के बारे में। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं और लोअर कोर्ट्स भी हैं। अगर हम को एक भाषा करनी है तो यह होना चाहिये कि जितने हाई कोर्ट्स देश में हैं उन की भी एक भाषा हो। इस वास्ते अगर पंद्रह वर्ष में हम को एक राज्य भाषा को लाना है तो यह बहुत आवश्यक है कि हम इस वक्त जितने वैधानिक शब्द हैं, विधि के जितने शब्द हैं उन शब्दों की एक तालिका उपस्थित करें और उस के वास्ते जो प्रस्ताव हमारी बहन ने रक्खा है वह बहुत ठीक है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कमीशन नियुक्त किया जाये वह ला मिनिस्ट्री के अन्डर नियुक्त किया जाये। इस तरह से नियुक्त किया जाये कि उस का सम्बन्ध सीधे ला मिनिस्ट्री से हो, उस का एजुकेशन मिनिस्ट्री से सम्बन्ध न हो।

मेरा चौथा प्वाइंट यह है कि कुछ लोग यह कहते हैं कि शब्द संस्कृत के न हों। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी मनुस्मृतियां और धर्म-शास्त्र हैं जिन के द्वारा हमारे यहां हजारों वर्षों तक न्याय होता रहा है उन में कौन सी शब्दावलि के द्वारा काम होता रहा है ? वह हमारा शब्द भण्डार है। उसी शब्दावलि को हमें फिर से रखना चाहिये।

यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ७०० वर्षों तक मुसलमानों ने इस बात की कोशिश की कि हिन्दुस्तान में फारसी भाषा में

अदालतों में कार्रवाई हो परन्तु वे असफल रहे। हमारे एक भाई ने कहा कि हमारे यहां संस्कृत की शब्दावली होनी चाहिये लेकिन हिन्दी के स्थान पर संस्कृत का लाना ठीक नहीं होगा। इस तरह की भावना ठीक नहीं है। यह बात तर्कसंगत हो सकती है लेकिन लोकसंगत नहीं।

इन सब कारणों से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Shri Dabhi: I am sorry I cannot speak in Hindi.

श्री गाडगिल : कम से कम गुजराती में बोलिये।

Shri Dabhi: My amendment is to the effect that the Commission proposed to be appointed should not only prepare Hindi texts of all the Central laws but that, where necessary, it should revise the authorised Hindi translation of the Constitution also. We know that our Constitution which was adopted by the Constituent Assembly on the 26th November, 1949 was in English. After that the Constituent Assembly authorised Dr. Rajendra Prasad who was then the President.....

Shri Raghunath Singh: Not after that; it was before that.

Shri Dabhi: He was entrusted with the task of translating the English version of the Constitution into Hindi. And then, as a result of that resolution, Dr. Rajendra Prasad had appointed a Special Translation Committee, and we know that that translation, the Hindi version of the Constitution, is published by the Manager of Publications, Delhi, that is by the Government.

What I want to point out is this. I do not know Hindi much. Yet I have discovered one very glaring error in the Hindi version of the Constitution. This error is contained in article 47 of the Constitution which gives the Directive Principle regarding Prohibition. I would read the relevant portion of article 47 of the Constitution. It reads:

> "In particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

You would see from this English version that two things are to be prohibited. One is intoxicating drinks. The other is drugs which are injurious to health. You would see here that the words "which are injurious to health" do not qualify "intoxicating drinks". That means that under the Constitution only those drugs which are injurious to health are to be prohibited; but with regard to intoxicating drinks, whether injurious to health or not, they are to be prohibited. You will see that my interpretation is right.

There is also a Sanskrit translation of the same which reads:

"विशेषतः राज्यं मादकानां पेयानां स्वास्थ्य-हानिकराणां च औषधानाम्, अन्यत्र भैषज्य-प्रयोजनभ्यः, उपभोगस्य प्रतिषेधाय यतेत।"

You would see here also that "मादकानां" is not preceded by "स्वास्थ्यहानिकराणाम्"

But now let us see what is the Hindi translation of this article 47. This is the Hindi translation:

"राज्य विशेषतया स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा"

You will see from this that an interpretation of the Hindi translation of this article 47 would mean that intoxicating drinks can be prohibited only when they are proved to be injurious to health. As far as I understand, this is a grievous error. Because those pepole who are anti-Prohibitionists would argue that intoxicating

[Shri Dabhi]

drinks, that is liquors, are not injurious to health. But the framers of the Constitution did not want to apply this adjective "injurious to health" here, because they believed that intoxicating drink is not only injurious to health but from a moral and social point of view also it is injurious for the nation.

I hope therefore that the Law Minister will see that this translation is revised. I wrote to the Government but they have replied that the authoritative text is the English one. When such a glaring defect was pointed out they should have taken immediate steps to revise the translation. I do not know whether there are other mistakes also, but this is a very glaring error. Lakhs of people would be reading this Hindi translation. Therefore it is the duty of the Government to revise this Hindi translation also.

श्री गाडगील : सभापति जी, जो प्रस्ताव सभा के सामने पेश किया गया है उस का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि जब हम ने अपने संविधान में पंद्रह वर्ष के अन्दर अपना सारा राज्य का कार्य-भार हिन्दी में चलाने की प्रतिज्ञा की है, और पांच वर्ष जब गुजर चुके हैं, अगले दस वर्षों में हमें यह काम पूरा करना है, तो इस तरह का आयोग जल्दी से जल्दी नियुक्त करना चाहिये ।

भाषा का स्वरूप क्या हो, इस बारे में संविधान में कुछ साफ साफ सिद्धान्त रक्खे गये हैं । उन में एक सिद्धान्त यह है कि जहां आवश्यकता और वांछनीयता हो वहां संस्कृत का उपयोग किया जाये । इस के माने यह हैं कि अगर प्रचलित शब्द, जिस को कि लोग समझते हैं, अच्छा हो तो उस को अलग कर के कोई अर्थशून्य, क्लिष्ट या दो अर्थों का शब्द रखना ठीक नहीं है । यह जो सिद्धान्त है उसे हमारे पुराने नेता हैं, उन्होंने वैधानिक ख्याल से स्वीकार किया है । मीमांसा के बारे में कहा है कि जब कभी सवाल उठे, जैसे यह कहा जाये कि प्रचलित शब्द यवन हैं, क्या हम उस का उपयोग करें । तो उन्होंने कहा कि अवश्य इस का उपयोग करना है ।

यवन शब्दा भावे निरुक्तादयः चरितार्थः ।

जहां प्रचलित यवन शब्द न हो तो निरुक्त यानी संस्कृत से शब्द लेना चाहिए । मैं समझता हूं कि हमारे पास बहुत शब्द सम्पत्ति है । अनेक भाषाओं के शब्द हैं । चन्द शब्द ऐसे हैं जैसे स्टेशन आदि । ये संस्कृत के नहीं हैं इसीलिए उनको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वे प्रचलित हैं, लेकिन जहां दूसरे शब्द ही नहीं हैं, या कोई नयी कल्पना है तो उसके लिए संस्कृत का ही उपयोग करना चाहिए और इस सिद्धान्त के साथ उनका उपयोग होना चाहिए कि वे शब्द सुलभ हों, सरल हों, अर्थवाही हों और प्रासादिक हों । मैं समझता हूं कि कानून से लोगों का व्यवहार सुनिश्चित हो जाता है । कानून के ऊपर लोगों का व्यवहार चलता है । इसलिए कानून के शब्द निश्चित होने चाहिए और उनका एक ही अर्थ होना चाहिए । यह न हो कि एक शब्द का अर्थ ग्वालियर में जो हो वह कलकत्ते में न हो । यह होना चाहिए कि उसका जो अर्थ कलकत्ते में हो वही जबलपुर में हो । इसके लिए बड़ी कोशिश करनी होगी । इसलिए जो आयोग बनेगा वह ऐसा अनुवाद न करे जैसा कि हम बचपन में पढ़ते थे कि वेल्यू का अर्थ लुट और लुट का अर्थ वेल्यू । जो शब्द हमारी भाषा से मिलता जुलता है उसी को स्वीकार किया जाये यह नहीं कि अंग्रेजी का बिल्कुल अनुवाद कर दिया जाये । इस तरह से काम नहीं होगा । इसलिए मैं समझता हूं कि आयोग में ऐसे लोग हों जो लोगों का अन्तःकरण जानते हों, भाषा का अन्तःकरण जानते हों, और शब्द की आत्मा जानते हों । अगर ऐसे लोगों को मुकर्रर किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि काम ठीक होगा । आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर बहुत से लोग कुछ भावना रखते हैं । मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि उस भावना के साथ गड़बड़ न करें ।

Mr. Chairman: Only two speakers can be allowed. The hon. Minister has to reply also.

Some Hon. Members: Three minutes each.

Mr. Chairman: If all hon. Members agree to three minutes, I have no objection.

श्री नंद लाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

Mr. Chairman: Please don't waste time, in *Dhanyabad*. You have only three minutes.

श्री नंद लाल शर्मा : संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया है । इसलिए इस सम्बन्ध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रस्ताव की उपस्थात्री महोदया के द्वारा यह कहा गया कि हिन्दी भाषा के अतिरिक्त भारत में और बहुत सी भाषायें हैं किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत सी भाषायें हिन्दी भाषा की ही विकृति हैं । भारत की संस्कृत से जन्म लेने वाली जितनी भाषायें हैं उनमें हिन्दी का संस्कृत से सीधा सम्बन्ध है । ऐसी परिस्थिति में हिन्दी भाषा की व्यापकता हमको न केवल जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखनी है परन्तु भाषा के दृष्टिकोण से भी देखनी है । विधि पुस्तकों के अनुवाद के सम्बन्ध में अभी आपके सामने श्री डाभी जी ने एक विशेषता रखी कि हिन्दी अनुवाद में कोई त्रुटि बतलायी गयी और उसी के साथ संस्कृत भाषा में वह त्रुटि नहीं बतलायी गयी । यह उन्होंने स्वीकार किया। हमको यह बात बड़े कष्ट और दुःख से अनुभव करनी पड़ती है कि हिन्दी भाषा का अनुवाद करने वाले वस्तुतः हिन्दी के पंडित नहीं होते, वे होते हैं हिन्दुस्तानी के पंडित । हिन्दुस्तान में यह बीमारी व्याप्त हो गयी है कि हिन्दुस्तानी का हल्ला मचा हुआ है । हम यह विश्वास रखते हैं कि हिन्दुस्तानी इस देश में किसी जगह बोली नहीं जाती । हमारा यह कहना है कि या तो आप हिन्दी के भक्त बनिये या उर्दू के भक्त बनिये, आप राम के भक्त या खुदा के भक्त बनिये ।

Mr. Chairman: Only three minutes were given to the hon. Member. He is expatiating as if he is to speak for half an hour. He has not yet spoken a word about the Hindi Law Commission. I would ask him to confine himself to the subject.

श्री नंद लाल शर्मा : मैं ठीक उसी पाइंट पर कह रहा हूं । बात यह है कि जो राम और खुदा दोनों को मिलाकर राम खुदैया नाम का तीसरा शब्द खड़ा करते हैं उससे काम नहीं चलेगा । वस्तुतः हिन्दी संस्कृत के विद्वानों में मनु याज्ञवल्क मिताक्षरा, और मेरुवाहन आदि जितने विधि निबन्ध हैं उनके जो पंडित हैं और संस्कृत में प्रयुक्त होने वाली विधि शब्दावली को जानते हैं और जो अंग्रेजी विधि को भी जानते हैं, ऐसे दोनों ढंग के विद्वान यदि कमीशन में रहेंगे तब तो किसी प्रकार का कोई अनुवाद बन सकता है जिसकी कोई उपयोगिता होगी । परन्तु यदि केवल ऐसे व्यक्ति रख दिये गये जो जैसे आज हमारे शिक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि उस अनुवाद में जितने दोष बतलाये गये हैं वे और ज्यादा होंगे । इसलिए मैं सेठ गोविन्द दास के भावों का समर्थन करता हूं कि यह कार्य अधिकृत संस्थाओं को देना चाहिए अथवा ऐसे विद्वानों का संकलन करना चाहिए जो हिन्दी और संस्कृत की विधि शब्दावलि को और साथ ही अंग्रेजी के भावों को भी समझते हों । केवल अंग्रेजी का अनुवाद करने से काम नहीं चलेगा। आपको हिन्दी की भावना और जनता की भावना के अनुसार ग्रन्थ तैयार करने होंगे । मैं समझता हूं कि जनता की भाषा हिन्दी स्वीकार करने के बाद अब कोई मतभेद नहीं रह गया है और मैं समझता हूं कि सब इसको जानने का प्रयत्न करेंगे । मैं तो कहूंगा "हिन्दू हिन्दी हिन्द से करो रैन दिन प्रीति" ।

Shri Thimmaiah: (Kolar—Reserved—Sch.-Castes): The Resolution involves certain amount of suspicion that enough has not been done in the direction of the spread of Hindi according to the notions of the advocates of

[Shri Thimmaiah]

this resolution and it is an attempt to force the pace of Hindi under the existing circumstances.

Some Hon. Members: Not at all.

Shri Thimmaiah: It ignores certain important features of the situation in the country as a whole. Today, nobody is hostile to Hindi. Everybody accepts that for purposes of intercommunication, there should be a national language, that that langauge should be learnt and that that language should be Hindi. But, whether that Hindi which comes to achieve that position ultimately will structurally be the Hindi that our pandits of Sanskrit and Law strive to make, is highly problematical. Such an attempt would fail to achieve the desired results. That would only be the language of a few learned people and the common masses will be quite ignorant of those laws which are framed, and they will be subjected to them without understanding them.

An Hon. Member: Can the common man understand English?

Shri Thimmaiah: The ordinary people cannot understand even the text-books that are in existence in the regional languages. In these circumstances, if you publish these text-books and laws in Hindi, I think they will not be within the reach of the common people. Therefore, democratically speaking, I say Hindi should be spread not in a manufactured way, but in the way the common man can understand. I also request the advocates of this resolution not to lose sight of the circumstances prevailing in the South. There is a small fantastic group of people also in our country opposed to the very Hindi itself. I do not say they are right, but they are opposing it rather fantastically. Therefore, we should carry on this Hindi in a friendly manner and in a friendly atmosphere and see that it is gradually made a national language and that all our college text-books, the law books and all other books are written in Hindi. It cannot be done by all of a sudden asking the Government to replace every book by Hindi and to produce Hindi literature and all that.

The advocates should also remember that it rather requires a lot of expenditure to write all these text-books and the law books in Hindi, and in return I do not think we will get the worth of money that we spend on it. Therefore, it is necessary that we should go cautiously and slowly taking into consideration the situation existing in the country and also the psychology of the people who are now just learning Hindi, and also understanding the mind of the people in that direction. Therefore, I request the hon. Member who has moved this resolution to carefully examine it and withdraw it in the interests of the country, so that progress may be achieved without any impediment or any illwill.

That is my object, and I hope that it will be withdrawn, and that Hindi will make progress in an effective manner.

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Chairman: Hon. the Law Minister.

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): I find myself in a difficulty.

Some Hon. Members: Hindi, Hindi.

Mr. Chairman: Order, order. Let him proceed.

Shri Biswas: This is something to be done in Hindi, and unfortunately I am not able to speak in that language. I confess I suffer from that defect, but I do not yield to anyone in my desire to see that full effect is given to the Constitution and the intentions of those who framed the Constitution. I feel very strongly that we should from now take all possible steps to prepare for the change-over which the Constitution contemplates at the end of fifteen years. With a view to achieving that

end, after I came into the Ministry, I can tell you the steps I took.

There was a translation branch attached to the Law Ministry. That translation branch I am told was there for the last seventy years probably.

Shri Raghunath Singh: Seventeen years?

Shri Biswas: Seventy years. There was a translation branch. I thought that was not right, that we should reorganise the translation branch, we should see that the translation branch at least turned out Hindi translations of the important Acts. That work was being done, but not in a systematic manner. Now, we appointed a special officer, a gentleman very competent, well-versed in Hindi and also in law. We placed him at the head of the branch and he has been carrying on his work with the utmost satisfaction. He has already been able to bring out translations of almost of the important Central laws. I will tell you presently the handicaps, the difficulties under which he labours. Those translations are there. Those books are available. You will excuse me if I exceed the time-limit because I want to place all the facts before the House.

Some Hon. Members: Yes, yes.

Shri Biswas: And I hope the House will allow me.....

Some Hon. Members: We will allow you.

Shri Biswas: As a matter of fact, he has produced, he has actually brought in the market translations of numerous Central laws. They are available for sale. The difficulty as regards these translations is this. There is no authoritative *imprimatur* put on them so as to compel the acceptance of those translations as authentic and authorised translations. That is the difficulty. That is what we shall have to deal with, and that cannot be done except by legislation; and legislation cannot be enacted unless the legislature is satisfied that the translations which have been produced are actually correct translations which may be actually enforced as authentic and authoritative translations. For that purpose, it is necessary that we should have an expert committee before whom the materials which have already been prepared by the staff with that special officer at its head should be placed. The constitution of that expert committee is a matter of great difficulty. The greatest care should be taken to select the members who would constitute that committee. We have not yet been able to find out suitable members.

There was some difficulty and some delay due to the fact that while one department of Government was dealing with this matter, there was another department of Government dealing with a similar question as regards other matters. I refer to the Education Ministry, because that question has been specifically put to me by hon. friend Seth Govind Das. He wanted to know which Ministry is dealing with this matter.

Well, Sir, there has been correspondence. We want for this purpose Hindi-knowing men. There was an expression which we found when we were students of Hindu law—Sanskritists without law and lawyers without Sanskrit. It will not do if the members who constitute this committee satisfy only one qualification, *viz.*, that they are good lawyers. They must also be good Hindi scholars.

Seth Govind Das: Quite right.

Shri Biswas: So, unless you have a combination of both these requirements, it is difficult to carry on the work satisfactorily.

Now, Sir, one view was that this work should be undertaken by the Law Ministry. In fact, the Law Ministry had already commenced the work.

Seth Govind Das: That should be done.

Shri Biswas: On the other hand, there was the Education Ministry. That

[Shri Biswas]

Ministry was engaged in an equally important work, in coining, in finding out new terms in Hindi for scientific terms and so on.

Seth Govind Das: Bich Bindi Kole.

Shri Biswas: The question is now one not only of finding equivalents in Hindi of legal terms. The question with which we are faced in connection with this present question is not a question of merely coining equivalent terms. The dictionary is no doubt the first step. We must have a good dictionary—Hindi-English dictionary and English-Hindi dictionary. That has not been done. Government have already suggested to the Education Ministry that they should take up this question at once, the compilation of a good dictionary. There are many dictionaries in the market we know, but then.....

Shri Tek Chand: What you want is a lexicon.

5 P.M.

Shri Biswas: We want Government to prepare a lexicon without delay which will give you Hindi equivalents to English terms, and English equivalents to Hindi terms. That must be the minimum and that is the first step to be taken. Then, after that is done, there is another question which is altogether different from the question of translating with the aid of a lexicon. That is, you must evolve a real drafting style in Hindi. I mean, the preparation of the text of a Central law is not quite the same as finding equivalents in Hindi for legal terms. That is entirely a different subject, and that can be tackled only by competent lawyers who know Hindi. What has been done as a result of correspondence is that the Education Ministry and the Law Ministry are both united in their recognition of the importance of this work, and both Ministries are anxious that the work should be done in the proper and most effective way. After consultation, it was decided that the Law Ministry need not set up an expert committee of law of its own for evolving a standard legal terminology in Hindi; that the personnel of the expert committee on law to be set up by the Education Ministry should be selected in consultation with the Law Ministry; that the translation section of the Law Ministry which has already done a good deal of spade-work in the field should be directly and fully utilised by the expert committee; and that the legal terms prepared by the translation section of the Law Ministry will be submitted to the expert committee on law, and then they should be submitted for the approval of the Board of Scientific Terminology, of which the expert committee will be one of the committees. So, that has been the arrangement. Effect has not yet been given to it. I do not know how it will work. We are hoping that it will work satisfactorily.

But what I am trying to convince the House about is this, namely that the Law Ministry is not unmindful of its responsibilities in this matter. The Law Ministry initiated action more than two and a half years ago, and it has made some progress, but the real thing remains yet to be done, that is, we should have a committee of experts before whom these materials can be placed, and they will advise the people who are now working on this, as to how to proceed and how to evolve that drafting formula to which I have already referred. That is the more important thing. Otherwise, we cannot prepare a correct translation; we may prepare some sort of translation, but what we want is a translation which will hold its field everywhere.

Then, there is also the question of co-ordination with the State Governments. I am sorry I have already exceeded my time-limit. When I read this resolution for the first time, I was rather wondering why the word 'Commission' has been used. I do not know whether the Mover had in her mind something like the Statute Law Revision Commission, of which a good deal is being made here nowadays. That is

an entirely different problem. You revise the existing body of laws, and you make your laws up to date, and suggest new laws. That is another function altogether. When the Statute Law Revision Commission has finished its work in English, then will come the next stage of preparing translations of those laws in Hindi or other regional languages. But the Commission which the hon. Member contemplates, is not, I think, a Commission whose function it will be to revise the existing laws. She only wants preparation of translations. I was rather misled by the use of the word 'Commission', because the word was being so frequently used in another connection.

श्री टेक चन्द : यह गलत है जो कहा श्रीमती जी ने ।

Shri Biswas: I was just pointing out that so far as this resolution is concerned, it is confined to a different and a more limited subject, and not to the wider subject of setting up a Statutory Law Revision Commission for the purpose of examining the existing laws, and suggesting changes or amendments for one purpose or another.

I would ask the hon. mover to withdraw this resolution. I can give her this assurance that Government are doing their duty. They are fully conscious of the importance of this matter and they are doing all that is reasonably possible.

Seth Govind Das: We are only requesting Government, and nothing else. There is no censure involved in this.

Mr. Chairman: There are some amendments to this resolution. They have to be put to the vote of the House. First, there is the amendment of Shri Dabhi. Does he want it to be put to vote?

Shri Dabhi: If the hon. mover withdraws her resolution, then I would withdraw this. Mine is only an amendment to the original resolution.

Mr. Chairman: I want to know whether the hon. Member wants to withdraw it, or wants me to put it to the vote of the House.

But before this, there is the amendment of Shri Achuthan. I should have taken that first, for this is in substitution of the original resolution. Does the hon. Member Shri Achuthan want his amendment to be put to vote?

Shri Achuthan: If the parent resolution is withdrawn, I have nothing more to say.

An Hon. Member: Why do you go to the parent? (*Interruptions*).

Mr. Chairman: I am asking the hon. Member whether I should put it to the vote of the House.

Shri Achuthan: Yes.

Mr. Chairman: The question is:

That for the original Resolution the following be substituted, namely:

"This House is of opinion that the Central Government should appoint a Hindi Law Commission consisting of Hindi and Sanskrit scholars including Members of the Bar and the Bench to prepare authoritative Hindi texts of all Central Laws and at the same time appoint similar Commissions of qualified men to prepare authoritative texts of all Central Laws in all the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution."

The motion was negatived.

Mr. Chairman: Then, there is Shri Dabhi's amendment.

Shri Dabhi: I would ask leave of the House to withdraw it.

Mr. Chairman: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

Several Hon. Members: Yes.

The amendment was, by leave, withdrawn.

Shri Radha Raman: I also ask leave of the House to withdraw my amendment.

Shri Raghunath Singh: I too wish to withdraw my amendment.

The amendments were, by leave, withdrawn.

Mr. Chairman: I would like to know from the hon. Mover whether she wants to withdraw her resolution or wants it to be put to the House.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं । यह सभा के सामने रखा जाये ।

Mr. Chairman: The question is:

"This House is of opinion that the Central Government should immediately appoint a Hindi Law Commission consisting of Hindi and Sanskrit scholars including members of the bar and the bench to prepare authoritative Hindi texts of all the Central laws."

The Lok Sabha divided: Ayes 37; Noes 68.

Division No. 7 [5. 10. P. M.

AYES

Achint Ram, Lala
Amjad Ali, Shri
Bhandari, Shri
Birbal Singh, Shri
Chinaria, Shri
Chowdary, Shri C. R.
Das, Shri B. C.
Deshpande, Shri V. G.
Dhulekar, Shri
Dube, Shri U. S.
Dwivedi, Shri M. L.
Gadgil, Shri
Ganpati Ram, Shri
Govind Das, Seth
Gupta, Shri Badshah
Gupta, Shri Sadhan
Hem Raj, Shri
Jangde, Shri
Jena, Shri K. C.
Kureel, Shri B. N.
Mukerjee, Shri H. N.
Nambiar, Shri
Nanadas, Shri
Raghavachari, Shri
Raghunath Singh, Shri
Ram Das, Shri
Ramanand Shastri, Swami
Rao, Dr. Rama
Rao, Shri T. B. Vittal
Shah, Shri R. N.
Sharma, Shri Nand Lal
Shastri, Shri Algu Rai
Shastri, Shri B. D.
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Tandon, Shri
Verma, Shri M. L.
Vidyalankar, Shri A. N.

NOES

Abdus Sattar, Shri
Achuthan, Shri
Akarpuri, Sardar
Algesan, Shri
Altekar, Shri
Balasubramaniam, Shri
Basappa, Shri
Bhawanji, Shri
Borkar, Shri
Chaliha, Shri
Chaturvedi, Shri
Chettiar, Shri Nagappa
Choudhuri, Shri M. Shaffee
Dabhi, Shri
Das, Shri B. K.
Das, Shri K. K.
Datar, Shri
Deshpande, Shri G. H.
Dholakia, Shri
Eacharan, Shri I.
Ebenzer, Dr.
Fotedar, Pandit
Gandhi, Shri M. M.
Jagjivan Ram, Shri
Jain, Shri A. P.
Jena, Shri Niranjan
Joshi, Shri Jethalal
Kajolkar, Shri
Kakkan, Shri
Kanungo, Shri
Katham, Shri
Katju, Dr.
Keshavaiengar, Shri
Krishna Chandra, Shri
Lakshmayya, Shri
Lal Singh, Sardar
Mahodaya, Shri
Malviya, Shri K. D.
Malliah, Shri U. S.
Malviya, Pandit C. N.
Mandal, Dr. P.
Morarka, Shri
More, Shri K. L.
More, Shri S. S.
Musafir, Giani G. S.
Muthukrishnan, Shri
Nair, Shri C. K.
Narasimhan, Shri C. R.
Pande, Shri C. D.
Pant, Shri D. D.
Parekh, Dr. J. N.
Patil, Shri Kanavade
Pillai, Shri Thanu
Radha Raman, Shri
Raj Bahadur, Shri
Ram Saran, Shri
Ramaswami, Shri M. D.
Rane, Shri
Rishang Keishing, Shri
Sanganna, Shri
Sharma, Shri D. C.
Siddananjappa, Shri
Singh, Shri L. Jogeshwar
Subrahmanyam, Shri T.
Tek Chand, Shri
Telkikar, Shri
Vaishnav, Shri H. G.
Venkataraman, Shri

The motion was negatived